कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं0 29 दिनांकः– 2-5-2018

:: निर्णय /डिकी ::

श्री रामलाल पिता हलिया एवं श्रीमति पार्वती पत्नि रामलाल मीणा ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत केम्प हिराता में उपस्थित होकर सहमति बटवारा करने हेतु वाद पेश किया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। खातेदारों द्वारा ग्राम बन्दडा की सम्वत् 2069–72 की प्रमाणित प्रति, बंटवारा स्कीम जिसमें प्रत्येक का आने वाला हिस्सा एवं लगान दर्शाया गया है तथा नक्शा ट्रेस जिसमें प्रत्येक के आने वाले हिस्सें को पृथक–2 रंग से दर्शाया गया है प्रस्तुत किया गया । बंटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस के संबंध में पटवारी हल्का एवं भू0अ0 निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई एवं तहसीलदार द्वारा सहमति अनुसार बंटवारे की अनुशंषा की गई।

ग्राम बन्दडा पटवार हल्का हिराता की जमाबंदी संवत् 2069–72 की प्रमाणित प्रति अनुसार खाता संख्या 50 नई तथा 70 पुरानी खसरा नं0802/13 एवं 803/129 योग किता दो योग रकबा 02 बिधा में श्री रामलाल पिता हलिया एवं श्रीमति पार्वती पत्नि रामलाल मीणा सहखातेदार है। बंटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम बन्दडा के खाता संख्या 50 नई तथा 70 पुरानी खसरा नं0802/13 एवं 803/129 योग किता दो योग रकबा 02 बिधा का सहखातेदरों के मध्य प्रस्तुत बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस अनुसार बंटवारा किया जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर निर्णय/डिकी की पालना सुनिश्चित कर राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल–दरामद की कार्यवाही करे। बटवार स्कीम एवं नक्शा ट्रेस निर्णय/डिकी का अभिन्न अंग रहेगा।

SDO.